भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 815
29 नवंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवा विकास परियोजनाएं

815. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) के संबंध में स्वास्थ्य सेवा विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध सेवाओं को उन्नत करने तथा उन्हें ईसीजी मशीनों से सुसज्जित करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली स्थापित और सुदृढ़ करने के लिए और संविदा आधार पर मानव संसाधन में वृद्धि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के अभिलेख (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों के लिए अनुमोदन प्रदान करती है।

स्थापित मानदंडों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 20,000 (पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में) और 30,000 (मैदानी क्षेत्रों में) की आबादी के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र(पीएचसी) स्थापित किया जाना है।

वर्ष 2018 में, भारत सरकार ने दिसंबर 2022 तक 1,50,000 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (एबी-एचडब्ल्यूसी) के निर्माण की घोषणा की। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मौजूदा उप केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) में बदल दिया गया है जिसमें निवारक, संवर्धनात्मक, उपचारात्मक, उपशामक और पुनर्वास सेवाएं शामिल हैं जो सार्वभौमिक, नि:शुल्क और समुदाय के पास हैं।

हेल्थ डायनामिक्स ऑफ इंडिआ (एचडीआई) (अवसंरचना और मानव संसाधन), 2022-23 एक वार्षिक प्रकाशन है जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी प्रशासनिक आंकड़ों पर आधारित है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्यशील स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों का विवरण एचडीआई 2022-23 के निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastructure%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23_RE%20%281%29.pdf

इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में प्रस्तुत की गई अपेक्षाओं के आधार पर, संसाधनों की उपलब्धता के तहत, मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) के लिए सहायता प्रदान की जाती है। एमएमयू की तैनाती सामान्य जनसंख्या मानदंड पर आधारित है, जिसमें प्रति 10 लाख की आबादी पर 1 एमएमयू है। हालांकि, मामलें-दर-मामलें आधार पर जहां मौजूदा एमएमयू के माध्यम से सेवा प्राप्त करने वाले मरीज मैदानी इलाकों में प्रति एमएमयू प्रति दिन 60 मरीज और पहाड़ी इलाकों में प्रति एमएमयू प्रति दिन 30 मरीज से अधिक हैं, मानदंडों में और अधिक छूट उपलब्ध है।

साथ ही, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ई-संजीवनी नामक एक टेलीमेडिसिन एप्लिकेशन तैयार की है, जो डॉक्टर से डॉक्टर (एचडब्ल्यूसी मॉड्यूल) और मरीज-से डॉक्टर की परामर्शी सेवाएं (ओपीडी मॉड्यूल) प्रदान करती है। यह एप्लिकेशन हब और स्पोक मॉडल पर काम करती है। हब स्तर पर, एक विशेषज्ञ डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) को सेवाएं प्रदान करता है।

*****